Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
Volume-13, Issue-2, September-2019
Impact Factor:4.081
www.researchguru.net

शूद्रों की उत्पत्ति का 'दासता सिद्धान्त'– एक विश्लेणात्मक अध्ययन

मनोज कुमार पंकज
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग,डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)ई–मेल manojpankaj1990@gmail.com

सारांश– *भारतीय समाज विभिन्न आधारों पर बटाँ हुआ है जो धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा तथा लिंग पर आधारित है। इसी विभाजन को लेकर समाज में असमानता बनी हुई है। सामाजिक संरचना में धर्म और जाति दो महत्वपूर्ण कारक है। जिस प्रकार से पश्चिम में नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसी प्रकार भारत में जाति व्यवस्था, लोगो को बॉटती है। भारतीय समाज में जाति आधारित संरचना प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था का विकसित रूप है, जो पहले कर्म पर आधारित थी और बाद में जन्म पर आधारित हो गई। चार वर्णो में शूद्रों सबसे निचले स्तर पर विद्यमान थे। इसलिए शूद्रों को प्राचीन काल से उनके अधिकारों से वंचित रखने और उन्हें दास एवं गुलाम रखने के लिए उनकी दासत संबन्धी उत्पत्ति काफी हद तक जिम्मेदार है।*

कुँजी शब्द– *वर्ण–व्यवस्था, सामाजिक असमानता, सम्पत्ति का अधिकार, मूलनिवासी, विवाह पद्धति।*

प्राचीनकाल में दासता सिद्धान्त – शूद्रों की उत्पत्ति के संबन्ध में दासता का सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सिद्धान्त रूप में चार वर्ण, गुण–कर्म के अनुसार है। ब्राह्मण का कार्य ज्ञान–दान, क्षत्रिय का कार्य रक्षा, वैश्य का उद्योग और शूद्र का श्रम है।[1] भारतीय समाज में समय के साथ–साथ परिवर्तन आया। वर्ण व्यवस्था विघटित होने लगी, कर्म पर आधारित वर्ण–व्यवस्था, जन्म पर आधारित होने लगी। उत्तर वैदिक काल में आर्य जाति के सदस्य के रूप में शूद्र ने विभिन्न कर्मो में भाग लेने के अपने जनजातिय अधिकार को उस समय भी कायम रखा, जब उसें दास की कोटि में रख दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस लम्बे उत्तर वैदिक काल में धीरे–धीरे वर्ण व्यवस्था ने ठोस रूप धारण कर लिया था। इस व्यवस्था का सबसें अधिक प्रभाव भारत के मूल निवासियों पर पड़ा, जिन्हे आर्य सभ्यता के ग्रन्थों मे अनार्य, दस्यु, दास आदि से सम्बोधित किया गया है। इन मूल निवासियो के एक बहुत बड़े वर्ग ने आर्यो की सम्प्रभुता स्वीकार कर ली थी। जैसा कि प्रत्येक देश मे होता है कि आक्रमणकारी विजेता का सामना जनता का थोड़ा भाग ही करता है, अधिकांश भाग बिना अधिक विरोध के आक्रमणकारी विजेता के सामने अपने को पराजित मान लेता है। भारत मे भी ऐसा हुआ होगा। आर्यो ने सभी मूलनिवासियों को गुलाम और शूद्र वर्ण बना दिया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बहुत ही कठोर हो गया था। जिसका कुप्रभाव सबसे अधिक यहॉ के पराजित हुए लोगो अर्थात् मूलनिवासियों पर पड़ा। आर्यो ने यहॉ के मूलनिवासियों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और गुलामों जैसी जिन्दगी जीने के लिए मजबूर कर दिया।[2] उत्तर वैदिक काल के पश्चात् भारत में वर्ण धीरे–धीरे जाति में बदल गया, लेकिन शूद्र वर्ण के विकास में एक भारी अन्तर आया। जहॉ एक ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण से जाति बदलकर भी तीन जातियों से अधिक नहीं हुई वही दूसरी ओर शूद्र अस्पृश्य कार्यो के आधार पर अनेक जातियों में बॅट गए।[3] उत्तर वैदिक काल के बाद शूद्रों के विषय में अध्ययन करने के लिए ब्राह्मण ग्रन्थों के अतिरिक्त बौद्ध ग्रन्थ और जैन ग्रन्थों का सहारा लिया जा सकता है। शूद्रों के विषय में कुछ प्रत्यक्ष जानकारी धर्मसूत्रों से, थोड़ी बहुत जानकारी पालि ग्रन्थों से और उससे भी कम जानकारी जैन ग्रन्थों से मिलती है। बौद्ध ग्रन्थों में शूद्र को समाज का एक वर्ग माना गया है, शूद्र सेवक वर्ग के थे, यह बात उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ती है। किन्तु इस काल में धर्मसूत्रों में जोर देकर कहा गया है कि शूद्र को तीन उच्च वर्णो की सेवा करके अपने आश्रितों का भरण–पोषण करना है। शूद्र समुदाय का अधिकांश भाग संभवतः कृषि कार्य में लगा रहता था। धर्मसूत्रों के अनुसार कृषि वैश्यो का विषय था, जो स्वतंत्र किसान थे और उपज का एक हिस्सा राज्य को कर के रूप में चुकाते थे। किन्तु इस तथ्य से कि शूद्रों को जमीन की मालगुजारी नही चुकानी पड़ती थी, जिससे पता चलता है कि वे भूमिहीन मजदूर थे। मक्झिम निकाय के निकाय के एक परिच्छेद में चारो वर्णों के उपार्जन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ब्राह्मण अपना जीवनयापन भिक्षा से, क्षत्रिय तीर–धनुष के प्रयोग से, वैश्य खेती, गृहस्थी और पशुपालन से तथा शूद्र हॅसिया से फसल काटकर और उसे अपने कन्धे पर बहॅगा से ढोकर करता था।[4]

उत्तराधिकार–विधि में शूद्र पत्नी से उत्पन्न पुत्र के हिस्से के विषय में विभेदपूर्ण प्रावधान किये गये है। बौधायन के अनुसार विभिन्न वर्णो की पत्नियों से संतान रहने पर चार हिस्से ब्राह्मण को, तीन क्षत्रियो को, दो वैश्य को और एक शूद्र के पुत्र को मिलेगा। वशिष्ठ ने ऐसी स्थिति रहने पर मात्र तीन उच्च वर्णो के पुत्रों को हिस्सा देने कि व्यवस्था की है, और शूद्र पूत्र को छोड़ दिया है। गौतम का मत है कि यदि कोई ब्राह्मण निस्संतान मर जाए और उसे शूद्र पत्नी से उत्पन्न पुत्र हो तो वह कितना भी आज्ञाकारी क्यों न हो, अपने मृत पिता की सम्पत्ति में से नाममात्र की राशी ही प्राप्त होगी।[5] शूद्रों के सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में असमानता पाई जाता थी। शूद्र पुत्रों को सम्पत्ति में अधिकार नाम मात्र का था, कभी–कभी उसके पिता(सवर्ण) की अनुमति से उसे सम्पत्ति में कुछ हिस्सा मिल जाता था, नही तो उन्हें सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। मौर्योत्तर काल में शूद्रों और वैश्यों के बीच आर्थिक भेदभाव मिटते जा रहे थे। शूद्र अधिकाशतः अलग–अलग भूस्वामियों के यहॉ कृषि की मजदूरी कर रहे थे। इनका जीविकोपार्जन भूस्वामियों के रहम–करम पर निर्धारित होता था। भूस्वामियों की अनुपस्थिति में शूद्र मजदूर उनकी भूमि की देख–रेख करते थे। भारतीय समाज में वर्ण–व्यवस्था जो समाज का आधार–स्तम्भ है, को पूर्नजीवित एवं सुनियोजित करने के उद्देश्य से स्मृतियॉ अस्तित्व में आई। मनुस्मृति की रचना द्वितीय सदी ई0पू0 से द्वितीय सदी ईसा पश्चात् के मध्य है।[6] मनु ने दासता के सम्बन्ध में शूद्रों की नागरिक हैसियत के विषय में प्रकाश डाला है। कौटिल्य का मत है कि आर्य मॉ या पिता का शूद्र पुत्र दास नही बनाया जा सकता है। किन्तु मनु ने यह सिद्धान्त दिया कि दासता शूद्र के जीवन का शाश्वत रूप है। किन्तु यह केवल ब्राह्मणों और शूर्द्रो के सम्बन्ध पर लागू होता है। मनु कहते है कि शूद्र खरीदा हुआ हो या नही, उसे दास बनना ही होगा, क्योंकि परमात्मा ने उसका निर्माण ब्राह्मण की सेवा के लिए किया है। मौर्योत्तर काल में शूद्रों के लिए कहा गया है कि वे आजीवन दास रहेगे, क्योकि उनकी उत्पत्ति परमात्मा ने अन्य वर्णो की सेवा के लिए की है। जबकि मौर्य काल में कौटिल्य के मतानुसार सवर्ण महिला एवं शूद्र पिता से उत्पन्न पुत्र को दास नही बनाया जा सकता

था।[7] जिससे यह प्रतीत होता है कि मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति संतोषजनक थी।

दासता के सम्बन्ध में मनु के नियम शूद्र की नागरिकता पर पूर्ण प्रकाश डालते है। कौटिल्य का मत है कि आर्य मॉ या बॉप का शूद्र पुत्र दास नही बनाया जा सकता है। किन्तु यद्यपि मनु ने शूद्र पुत्रों को परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार दिया है। मनु कहते है कि शूद्र खरीदा हुआ हो या नही ,उसे दास बनना ही होगा, क्योंकि परमात्मा ने उसका निर्माण ब्राह्मणों की सेवा के लिए किया है। बाद के श्लोक मे उन्होनें बताया है कि शूद्र भोगाधिकार से मुक्त नही किया जा सकता, क्योकि भोगाधिकार उसमें अंतर्जात है। मनु ने बच्चों के नामकरण संस्कार में भी वर्ण विभेद किया है, जिससे शूद्रों की हीन भावना पर प्रकाश पड़ता है। उनका मत है कि ब्राह्मण का नाम मंगलसूचक, क्षत्रिय का नाम बलसूचक, वैश्य का नाम धनसूचक और शूद्र का नाम निन्दासूचक होना चाहिए। मनु का विचार है कि वर्ण जितना ही ऊचॉ हो, चोरी का अपराध उतना ही बड़ा होगा। शूद्र का अपराध निम्नतम माना गया, क्योकि यह समझा जाता है कि चोरी करना उसके लिए सामान्य बात है। साधारणतः मनु ने उच्च वर्णों के लोगो के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों के लिए बहुत कठोर दंड बनाया है। यदि कोई शूद्र किसी द्विज (जाति) को गाली देकर अपमानित करे तो उसकी जीभ कांट ली जाएगी। द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए प्रयुक्त होता है, क्योकि किसी शूद्र द्वारा किसी वैश्य को गलत शब्द कहे जाने पर या दंड देना निषिद्ध है। मनु ने यह निर्देश दिया है कि यदि कोई शूद्र द्विज के नाम और जातियों की चर्चा तिरष्कार पूर्ण करे तो दस अंगुली लम्बी गर्म लोहे की काटी उसके मुहॅ में डाल दी जाएगी। इस काल में शूद्रों का नाम निन्दासूचक होता था, अर्थात् अपमानजनक होता था, जबकि अन्य वर्णो के नाम सम्मानजनक होते थे। शूद्रों द्वारा अन्य वर्णो को अपमानित करने पर उन्हें कठोर से कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। मनु ने यह भी प्रावधान किया कि यदि अंहकार वश कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पर थूके तो राजा उसके दोनों होठ कटवॉ देगा, यदि वह उस पर पेशाब कर दे तो उसका लिंग और यदि उसके सामने हवॉ छोड़ दे तो उसका गुदा कटवॉ देगा। यदि शूद्र, ब्राह्मण का बाल पकड़कर खीचे तो राजा उसके हाथ कटवॉ देगा।[8] इस प्रकार मनु ने ब्राह्मणों को जानबूझकर कष्ट पहुचाने वाले निम्न शूद्र के लिए एक सामान्य दंड विधान का निर्माण किया है जिसके अनुसार राजा स्वेच्छा से शूद्रों पर अत्याचार कर सके।

मनु ने बताया है कि यदि कोई वैश्य और शूद्र, किसी ब्राह्मण के घर मेहमान बनकर आये तो उन्हे कृपापूर्वक नौकरो के साथ भोजन करने कि अनुमति दी जानी चाहिए। मनु का नियम है कि स्नातक को शूद्र का अन्न नही खाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि राजा का अन्न खाने से स्नातक का तेज नष्ट होता है, शूद्र का अन्न खाने से विद्या का, वैश्य का अन्न खाने से आयु का और चर्मकार का अन्न खाने से उसके यश का ह्रास होता है।[9] ब्राह्मणों को अपनी पवित्रता और श्रेष्ठता को बचाए रखने के लिए उन्हें अन्य वर्णो से खान–पान का सम्बन्ध नही रखना चाहिए। यदि वह उनसे खान–पान का सम्बन्ध रखतें है,तो इससे उनका तेज और प्रभाव नष्ट हो जाता है। मनु ने प्रथम चार प्रकार के विवाह अर्थात् ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह ब्राह्मण के लिए निर्धारित किया है। राक्षस विवाह क्षत्रियों के लिए और आसुर विवाह वैश्य और शूद्र के लिए विहित किया है। उन्होने यह भी बताया है कि ब्राह्मण आसुर और गंधर्व विवाह को भी अपना सकते है, क्षत्रिय भी आसुर, गंधर्व और पैशाच विवाह अपना सकते है और यही पद्धतियॉ वैश्व और शूद्र के लिए भी हो सकती है। इस प्रकार क्षत्रिय के लिए राक्षस पद्धति से नियम बनाकर उन्हे केवल वैश्य या शूद्र से अलग किया गया है। मनु ने स्त्री धन सम्बन्धी नियम बनाये है, उनके अनुसार आसुर, राक्षस अैर पैशाच पद्धति से विवाहिता स्त्री निःसंतान मर जाए तो स्त्री धन उसके मॉ–बाप को, अर्थात् उसके माता–पिता के परिवार मिलेगा, न कि उसके पति के परिवार को मिलेगा।[10] इससे यह पता चलता है कि वैश्य और शूद्र द्वारा अपनाई गई वैवाहिक पद्धतियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। इसके साथ ही मनु ने शूद्रों के लिए नियोग और विधवा विवाह का समर्थन किया है और अन्य तीनो उच्च वर्णों के लिए इस सबंध में घोर निन्दा की है। इस प्रकार हम कह सकते है कि मनु द्वारा बनाए गये नियम शूद्र महिलाओं के लिए संतोषजनक थे और वे परिवार/पति पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भर थी। वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने में शूद्रों की स्थिति संतोषजनक थी। शूद्र आसूर, गंधर्व या पैशाच विवाह कर सकते थे, जबकि ब्राह्मण ब्रह्म, दैव, आर्ष एवं प्रजापत्य विवाह कर सकते है। इस काल में शूद्र महिला की स्थिति अन्य वर्णो की महिलाओं से अच्छी मानी जा सकती है। शूद्र समाज में मातृसत्तात्मक परिवार थे। शूद्र महिला नियोग या विधवा कर सकती थी और वह आत्मनिर्भर थी।

आधुनिक काल में दासता सिद्धान्त– 19वीं सदीं के उत्तरार्द्ध में लिखते हुए फूले ने कहा है कि भारत के मूलनिवासी आदिवासी हैं। आदिवासियों में उन्होनें शूद्रों, अतिशूद्रों एवं अस्पृश्यों को शमिल किया है। उनके अनुसार, ये लोग दैत्यराज बली के अनुगामी बहादूर लोगो के वंशज थे। देशी लोगो ने बली के नेतृत्व में आगन्तुक ब्राह्मण से लोहा लिया, लेकिन वे पराजित होकर पराधीन बना दिए गए। फूले ने ब्राह्मणों को आर्य आक्रमण का प्रतिनिधि माना है। उनकी दृष्टि में स्वर्ण युग आर्य आक्रमण से पहले का युग था।[11] फूले के अनुसार,''ब्राह्मण लोग समुद्र जो ईरान नाम का देश है, वहॉ के मूल निवासी है। पहले के समय में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेजी विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर किया है। सर्वप्रथम आर्य लोगो ने बड़ी–बड़ी टोलिया बनाकर के इस देश में आकर कई बर्बर आक्रमण और यहॉ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर लगातार हमले करके बहुत आतंक फैलायें थे। फिर आर्य लोगों का ब्रह्मा नाम का एक मुख्य अधिकारी हुआ। जो बहुत ही निरकुंश था। उसने अपने शासनकाल में यहॉ के मूलनिवासियों को आक्रमक हमलों द्वारा पराजित किया और उन्हें अपना गुलाम बनाया। इसके पश्चात् ब्रह्मा ने अपने लोगो और इन गुलामों में भेदभाव रखने के नीति–नियम बनाए। इन सभी घटनाओं के कारण ही ब्रह्मा कि मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप ही लुप्त हो गया और उनका नया नाम 'ब्राह्मण' पड़ गया।[12] ज्योतिबा फूले के अनुसार, भारत में पुरोहितों, ब्राह्मणों को सत्ता पर काबिज हुए लगभग तीन हजार साल से ज्यादा समय हो गया है। वे लोग बाहरी देश यहॉ आए, यहॉ के मूल निवासियों पर हमले करके इन लोगो घर–द्वार और जमीन–जायदाद से भगा दिया और इन सभी को अपना गुलाम बनाया। सैकड़ो वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी इन्होने यहॉ के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर रखा है। ब्राह्मणों ने सोचा कि हमारा प्रभाव और वर्चश्व इन लोगो के दिलो और दिमाग पर रहे और जिससे हमारा स्वार्थ फलता–फूलते रहे, इसीलिए कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे कामयाब भी होते रहे। ब्राह्मण–पुरोहित वर्गो ने यहॉ के मूलनिवासियों को साथ–साथ उन्हें बुद्धिहिन एवं ज्ञानहिन बना दिया। जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण–पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चश्व कायम करके इन्हे हमेशा–हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखने के लिए केवल अपने निजी हितों को ध्यान में रखकर कई बनावटी ग्रन्थों की रचना की। इन ग्रन्थों के माध्यम से यह कोशिश की गई कि उन्हें जो विशेषाधिकार प्राप्त है, वे सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। इस

तरह का झूठा प्रचार–प्रसार करके उस समय के शूद्र–अतिशूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बो दिए। भारत में ब्राह्मण–पुरोहित वर्ग ने अपना वर्चस्व एवं अधिपत्य बनाए रखने के लिए, हिन्दू धर्म ग्रन्थो का सहारा लेकर शूद्रों एवं अतिशूद्रों को गुलाम बनाए रखा। इसलिए उन्होनें शूद्रों एवं अतिशूद्रों को बुद्धिहीन एवं ज्ञानहीन बना दिया, जिससे कि वे कभी भी अपना सिर उठा न सके। इसके साथ शूद्र एवं अतिशूद्र कभी भी द्विजों के खिलाफ विद्रोह न कर सके, ऐसी व्यवस्था ब्राह्मण–पुरोहितों द्वारा बनाई गई। फूले द्वारा बताया गया है कि शूद्रों को ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न करने का कारण यह था कि वे ब्राह्मण की सेवा आजीवन भर करते रहे और पुरोहितों के विरुद्ध कुछ भी न करे, ऐसा करने से ही शूद्र ईश्वर को प्राप्त कर सकेगें और वे अपना जीवन सफल बना सकते है।[13] फूले के अनुसार धरती पर जिस ईश्वर ने शूद्र–अतिशूद्रों और अन्य लोगो को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग करने की पूरी आजादी दी है। उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण–पंडा–पुरोहितों ने एकदम झूठ–मूठ की रचना की और सभी के अधिकारों को नकारते हुए वे स्वयं मालिक बन गए। ब्राह्मण–पंडा–पुराहित लोग अपना पेट भरने के लिए अपने पाखंडी ग्रन्थों के द्वारा हमेशा अनपढ़ एवं अज्ञानी शूद्रों को भ्रम का उपदेश देते रहे है, जिसके कारण शूद्र के दिलो दिमाग पर ब्राह्मणों के प्रति आस्था उत्पन्न होती रही है। ब्राह्मणों ने शूद्रों के मन में ईश्वर के आस्था के प्रति जो भावना भरी है वही भावना अपने प्रति भरने के लिए शूद्रों को मजबूर किया है।[14] ब्राह्मणों के उपदेशो का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्रों के दिलो–दिमाग पर इस तरह हावी हो गया है कि ये अमेरिका के अश्वेत गुलामों के जैसा हो गया। फूले का मानना है कि सभी मनुष्य एक समान है, जन्म लेने के साथ ही सभी को मानवी अधिकार मिल जानी चाहिए, लेकिन भारतीय समाज मे शूद्र एवं अतिशूद्र लोग इन मानवी अधिकारो से वंचित रह जाते है। इन तमाम मानवी अधिकारों को ब्राह्मण–पंडा–पुरोहित वर्ग ने कब्जा कर लिया है।

इसप्रकार प्राचीन काल से भारतीय समाज का एक बड़ा तबका अपने अधिकारों और अपनी पहचान से वंचित रहा तथ समाज में सबसे निम्न कोटि पर रहा, वह शूद्र थे। शूद्रों के दासता सिद्धान्त के माध्यम से ऊँची जातियों द्वारा उन्हें आजीवन गुलाम एवं दास बनाए रखने का प्रयास किया गया। आज भी वर्तमान में शूद्र या अतिशूद्र जिसे दलित, पददलित, उपेक्षित समुदाय, हरिजन आति नामों से जाना जाता है, उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय और शोचनीय है। इन्हें समाज में सामाजिक एवं जातिगत् भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बेगारी आदि कि अभाव मे शूद्रों की स्थिति निम्न दर्जे की है। विशेषकर दलित महिलाओं की स्थिति और भी गम्भीर है। दलित महिलाओं महिलाओं को एक महिला होने के नाते और दुसरा दलित या शूद्र होने से इनको अधिक भेदभव सहन करना पड़ता है।

सन्दर्भ –

1– कोठारी, रजनी, (2013), *भारत में राजनीति,* ओरिएन्ट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, पृ. सं.–18.

2– शर्मा, रामशरण, (2015), *शूद्रों का प्राचीन इतिहास,* राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. सं.– 100–102.

3– चौधरी, बासुकी नाथ, युवराज कुमार, (2013), आज का भारत : अर्थ और समाज, ओरिएन्ट ब्लैकस्वॉन, हैदराबाद, पृ. सं.–144.

4– शर्मा, रामशरण, पूर्वोक्त, पृ. सं.–93.

5– वही, पृ. सं.– 100.

6– माइकल, एस.एम., (2015), *आधुनिक भारत में दलित : दृष्टि एवं मूल्य,*सेज प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. सं.–93.

7– शर्मा,रामशरण, पूर्वोक्त, पृ. सं.–105.

8– वही, पृ. सं.– 187.

9– वही, पृ. सं.– 199.

10– वही, पृ. सं.– 200.

11– थापर, रोमिला,(2001), *आर्य संरचना का पुनर्गठन,* हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ. सं.– 39.

12– फूले, महात्मा ज्योतिबा, (2014), *गुलामगिरी,* गौतम बुक सेन्टर, नई दिल्ली, पृ. सं.– 40.

13– वही, पृ. सं.– 25.

14– देव, नाम ,(2014), *ज्योतिबा फूले : आधुनिक सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत,* राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पृ. सं.– 200.